

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 38/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/138

अनवान

1. रतनलाल पुत्र कालु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. बालु पुत्र कालु जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल पुत्र भैरा जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नोसरदेवी पत्नि मोहनलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रकाशी पुत्री मोहनलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सीता पुत्री मोहनलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. चतरू पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नन्दराम पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कंकु पुत्री लेहरीलाल तेली निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गोपी पुत्र धुकल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. देवीलाल पुत्र धुकल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मीठुलाल पुत्र गोपीलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. कंकु पुत्री मांगु उर्फ मांगीलाल पत्नि डालु जाट निवासी आमली तह.सहाड़ा जि. भीलवाड़ा
13. कंकु पुत्री लेहरू पत्नि बद्रीलाल जाट निवासी बड़ाखेड़ा आमली तह.सहाड़ा जि. भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत एकपक्षीय
3. विपक्षी संख्या 14 तहसीलदार रायपुर उपस्थित

निर्णय

दिनांक:-25.11.2024

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बोरियापुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 1697 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 1698 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1699 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1970/1556 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 1972/1700 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1975/1706 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1977/1705 रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.43 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 309 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 01.07.2024



सहायक कलेक्टर  
(राज.जी.ओ.) रायपुर

को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 12, 13 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विप्रार्थी संख्या 14 की ओर से तहसीलदार रायपुर उपस्थित। तहसीलदार ने जाहिर किया कि उसको मात्र भूमिधारी की हैसियत से पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है तथा प्रकरण में जवाब अपेक्षित नहीं है।
3. प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बोरियापुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर की खेत आराजी संख्या 1697 रकबा 0.43 है०, आराजी संख्या 1698 रकबा 0.31 है०, आराजी संख्या 1699 रकबा 0.17 है०, आराजी संख्या 1970/1556 रकबा 0.26 है०, आराजी संख्या 1972/1700 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 1975/1706 रकबा 0.10 है०, आराजी संख्या 1977/1705 रकबा 0.10 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 309 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्वावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम बोरियापुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर की खेत आराजी संख्या 1697 रकबा 0.43 है०, आराजी संख्या 1698 रकबा 0.31 है०, आराजी संख्या 1699 रकबा 0.17 है०, आराजी संख्या 1970/1556 रकबा 0.26 है०, आराजी संख्या 1972/1700 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 1975/1706 रकबा 0.10 है०, आराजी संख्या 1977/1705 रकबा 0.10 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 309 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी के संलग्न विवादित भूमि अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।
5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

**धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी**

द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटारे जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में

**सहायक कलक्टर**  
(रा.जी.ओ.) रायपुर



पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बंधित निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।


6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।


**—: आदेश :-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम बोरियापुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर की खेत आराजी संख्या 1697 रकबा 0.43 है०, आराजी संख्या 1698 रकबा 0.31 है०, आराजी संख्या 1699 रकबा 0.17 है०, आराजी संख्या 1970/1556 रकबा 0.26 है०, आराजी संख्या 1972/1700 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 1975/1706 रकबा 0.10 है०, आराजी संख्या 1977/1705 रकबा 0.10 है० कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.43 है० भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हों।



आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया

  
(राजेश कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
रायपुर जिला, भीलवाड़ा  
(रायपुर जिला, रायपुर)

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला, भीलवाड़ा  
(रायपुर जिला, रायपुर)